(0200/KN/SM)

मणिपुर राज्य के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

0200 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 14. सांविधिक संकल्प – माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, do you genuinely want to discuss this at this time?... (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, we will discuss it tomorrow. It is a serious issue ... (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Let us meet tomorrow. (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): सर, हम बोलेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिये।

... (<u>व्यवधान</u>)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the House is not in order... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 14. सांविधिक संकल्प शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्य डॉ. शिश थरूर जी से कहूंगा कि वे अपने विचारों को व्यक्त करें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker, Sir. Well, I must say I am sorely tempted at this very late hour to say that better late than never and just let the Bill passed. However, I think some home truths must be told. We have all witnessed the horrors of Manipur, a slow-burning horror that began in May of 2023 and is continuing now, 21 months before the President's Rule was actually declared... (*Interruptions*)

During this time, we have seen at least 250 people die, perhaps almost 300. More than 5,600 weapons and six and a half lakh rounds of ammunition have been seized, looted from police armouries, with more than 70,000 people displaced, a lakh affected, and thousands still forced to live in relief camps ... (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़): अध्यक्ष जी, हम कह रहे थे कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन कभी चर्चा नहीं हुई।... (व्यवधान) रात को दो बजे मणिपुर पर चर्चा हो रही है। यह कोई तरीका है। ... (व्यवधान) हम सालों से कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा करवाइये। हम सालों से मणिपुर पर चर्चा मांग रहे हैं।... (व्यवधान) मणिपुर के लोगों को धोखा दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the Home Minister is present here, and this is happening at a time when those responsible for maintaining law and order have clearly not done their job. The issue of national security has been before this House, and the fact is that when we found all these tragedies happening, no decisive action was taken for almost two years.

My Party repeatedly called for an earlier imposition of President's Rule. That did not happen, and I am very sorry to see that it was only when the Chief Minister resigned on the 9th of February that the State Assembly had to reconvene by the 12th. However, even though Article 174 (1) of the Constitution requires it, it was not possible to convene the State Assembly.

The Congress Party in Manipur had prepared a no-confidence resolution; your own ally, the NPP, had withdrawn support. In those circumstances, only then, with the Assembly unable to meet because you could not survive such a motion, the President's Rule was declared. This, sir, is a very painful development. To cite the failure of the Constitutional machinery in the State over the Assembly's inability to meet when the real failure has been one of national

security, law and order maintenance, and basic decency for the people suffering the torment of violence in that State for almost two years, remains a blot on the conscience of the nation.

Today, this is the 11th instance that we will be approving the President's Rule in Manipur, which is a record, the highest of any Indian State in the last 77 years. No State has had to go under the President's Rule 11 times as Manipur has done. Now, this is a very serious moment in our country's history and in the history of Manipur. Decision-making power has been shifted from locally elected representatives to the Central Government and the Governor appointed by the Central Government.

(0205/RP/VB)

That is a very onerous responsibility at a time when sadly our own Prime Minister has not gone to listen to the pain and trauma of the suffering people. Even the Supreme Court has sent a delegation two weeks ago. They have visited, and seen the conditions of the people there. We would urge that this omission be rectified as soon as possible.

In addition to that Sir, we really have to look at what President's Rule means in practice for the people of Manipur. They have suffered a long history of insurgency. There have been various armed groups running amok, demanding autonomy, independence, God knows what else. They are often operating outside the law. Governance and law enforcement have been pretty much non-existent under the previous now departed Government, and at the same time as a result of this condition, infrastructure development has been hampered, economic growth has suffered and integration with the rest of the country has been largely absent.

Manipur has a rich cultural heritage, natural resources, and yet it is struggling with economic underdevelopment, limited industrialization, high unemployment rates and inadequate infrastructure. On top of that, the biggest crisis we are facing today is that there has been an erosion of public trust in the State, the State of India, the State of Manipur, and its institutions. That legitimacy has to be regained during this period of President's Rule.

On top of that, we are seeing the State facing severe challenges from illegal immigration and drug trafficking, exacerbating the social and economic conditions I have mentioned. There has been sadly a situation where in 2023 a prominent Manipuri woman police officer resigned from the force, blaming the Chief Minister and the Government for actually interfering in drug investigations and sheltering drug lords. This has been an absolute shame for the nation. Now, in these circumstances, what do we want, Sir? We would like to see THE President's Rule as an opportunity to heal the State. It has to be an opportunity to foster dialogue amongst communities, to promote economic development, to ensure accountability in governance, and to respect Constitutional values that have been cast to the winds over the last two years. It is essential now to restore the infrastructural power of the State. The State needs to restore its credibility and here the President's Rule is necessary but not sufficient condition. It is necessary, yes, but at the same time it has to be conducted responsibly by the Governor in order to ensure normalcy is restored and that Constitutional order once again means something in Manipur.

We now have 288 companies of Central Armed Police Forces, and 150 battalions of the Indian Army and the Assam Rifles. They can deal with the violent conflict and the insurgency but at the same time we must be painfully conscious that when we devote such substantial resources to counter insurgency operations to law-and-order enforcement, we are diverting funds and attention from development projects, essential services like education and healthcare that the people of Manipur desperately need. Violent conflict primarily stems from a legitimacy crisis and it is not the other way round. It is the fact that the State has lost legitimacy that permits violence to run rampant. The challenge now is to build legitimacy for the State, create once again faith in the institutions, that is what the Governor will have to do and at the same time end the insurgency and restore social order, peace and stability. Then, the challenge for the Government – and I am sure the Home Minister will have to agree with us – must be to promote dialogue amongst communities that have been at war with each other, that have been alienated from each other, promote inclusive policies that erase the divides in Manipur society. This is a task confronting us.

The President's Rule is to be used for any good purpose, this is the only purpose that it must serve. We have to come back again within six months to actually once again renew this Proclamation. So, I say to the Home Minister and to the Government, of course, we will all go along with this resolution, we are not going to oppose it, we know that Constitutionally it is required for the country, but we hope that the Government will go in with a larger vision of how the President's Rule can be used to restore faith in the institutions of our State, the legitimacy of the people, the legitimacy of the State of India in the eyes of the people of Manipur, and that in this process, Sir, we will be able to restore Constitutional order, social order, and peace and healing to the people who have suffered such terrible anguish.

No one should have to go through what the people of Manipur have endured. Let us not add neglect to that. Let us not use President's Rule only as a law-and-order enforcement mechanism, let us think of the people of Manipur and bring them healing and peace.

With these words, Sir, my party will support this Proclamation. Thank you.

(ends)

(0210/PC/VR)

माननीय अध्यक्ष : लालजी जी, यूपी में थोड़ी न लगा है।

... (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

आपने मणिपुर के राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के संकल्प पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। निश्चित रूप से मणिपुर की घटनाएं हुई, जिस तरह से संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन वहां की सरकार ने नहीं किया और जो घटनाएं वहां हुई, वे हमारे देश के लिए एक काला धब्बा है। सारा विपक्ष एकजुट होकर उस समय सरकार से मांग कर रहा था कि उस सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिद करके अप्लसंख्यकों को डराने-धमकाने का काम किया और वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया।

आज जिस तरह का विधेयक लाकर अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से मणिपुर में बड़े लंबे समय तक इस देश की मानवता कराह रही थी। महिलाओं की बात करने वाली सरकार, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही थीं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। निश्चित रूप से वहां राष्ट्रपति शासन की मांग सारे विपक्षी दलों ने मिलकर करने का काम किया था। उस समय यह नहीं हुआ। आज आए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ सुधारात्मक कार्य होना चाहिए। वहां की जनता का विश्वास अर्जित करके निश्चित रूप से जितना जल्द हो सके, सामान्य स्थिति लाकर फिर वहां जनता को अपने मत के अनुसार सरकार चुनने का अवसर देने का काम करना चाहिए।

निश्चित रूप से आज यह जो संकल्प आया है, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन, साथ ही साथ हमारी यह मांग है, हमारे दल की तरफ से यह मांग है कि वहां की स्थिति सामान्य करने के लिए सारे कार्य किए जाएं। वहां के विकास का काम किया जाए और वहां के लोगों को फिर से अपनी इच्छानुसार सरकार चुनने का अवसर दिया जाए।

धन्यवाद।

(इति)

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज सदन में बहुत शेर बोले जा रहे थे, तो मैं भी एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूं। "तेरा इंतज़ार करेंगे हम, चाहे ज़माने लग जाएं,

या तो तू आ जाए, या हम ही ठिकाने लग जाएं।"

सर, यह शेर मुझे अच्छे दिनों की याद दिलाता है। उन दिनों की याद दिलाता है, जिनका वादा था, इस सरकार की नेकी का जो इरादा था। जो इरादे वर्ष 2014 में काफी बुलंद थे, लेकिन वर्ष 2024 के आते-आते इनकी नीतियों में कुछ थोड़े-बहुत घमंड थे।

इस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटीं, जिनकी वजह से 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसीडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई।

सर, मैंने पहले भी यह चर्चा की थी that President's Rule was the only solution, and why it was not imposed months ago when people were dying. जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को निवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा, दोनों कर रहा था, तब आप कहां थे?

Sir, this delay in imposing the President's Rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tensions spiralled out of control.

सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है। आज लगभग सुबह 2:15 बजे हम मणिपुर पर आलोचना कर रहे हैं। इतनी इम्पॉर्टेंस अगर पहले दी होती, तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। This is what I think.

सर, यह शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसीडेंट्स रूल है, यह भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज लाखों नौजवान हैं, जो बेकार बैठे हैं। एक-दो परसेंट ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ टैक्स-पेयबल की क्राइटेरिया में आते हैं और बीजेपी है, जो 'सब चंगा सी' का कुर्ता-पायजामा पहनकर घूमती रहती है। यह दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रिएलिटी कुछ अलग ही है। (0215/CS/SNT)

सर, वर्ष 2023 में टॉप 10 वीपीएन की रिपोर्ट के अनुसार में 212 दिन से ऊपर इंटरनेट शट डाउन किया गया था, which comes to a total of 5,088 hours, marking it the second highest after Jammu & Kashmir. This led to huge economic loss in Manipur, approximately Rs. 3,157 crore. The economic blockade in Manipur affecting the two main National Highways lasted for 66 days with rough estimates of loss of

around Rs. 250 crore per day, which is a whooping Rs. 17,000 crore in over two months. Over 67,000 people were forced to leave their homes and they cramped up in only 360 relief camps. Nearly 12,000 people fled to Mizoram and approximately 7,000 people sought refuge in Nagaland, Assam, and Meghalaya. Over 1,700 people have taken refuge in Cachar district as of June 2024.

सर, ये सब तो रजिस्टर्ड ऑफिशियल फिगर्स हैं, न जाने अनरजिस्टर्ड, अनऑफिशियल कितने बेघर लोग होंगे, जो दूसरों के घरों में रह रहे हैं, शायद दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। यह इसीलिए हुआ है, क्योंकि मणिपुर की सरकार, डबल इंजन सरकार ने, उनकी मंशा यह नहीं थी कि वहाँ के लोगों को शुरू से प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको शुरू से रिलीफ दिया जाए, अगर ऐसा होता तो 22 महीनों से इन्होंने मणिपुर को जलने न दिया होता।

सर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूँगी। They want to move the Resolution, of course, we have to be with them. लेकिन एक अप्रैल 2025 मतलब एक दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देकर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इफेक्टिव कर दिया है। इससे समझ में आता है कि law and order in Manipur has seriously deteriorated. आज भी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 1960 से हजारों रिफ्यूजीज मणिपुर में घुसकर बैठे हैं। 2001 का सेंसस रिव्यू करना है और डीलिमिटेशन से पहले एनआरसी लाना है, मतलब आपको कुछ सुधारना नहीं हे, आपको बस और बिगाड़ना है, बिगाड़ना है। जिस तरह असम में एनआरसी के नाम पर इस सरकार ने 1500 करोड़ रुपये से ऊपर फूँक दिए और करीबन 19 लाख लोगों का अस्तित्व संकट में डाल दिया, अब वही हरकत दोबारा मणिपुर के लोगों के साथ दोहराना चाहते हैं।

महोदय, अंत में, मैं मणिपुर के भाई और बहनों की तरफ से बस इतना कहना चाहती हूँ कि "जिंदगी यूँ ही गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है, जिस जगह पहले के जख्मों के निशां हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है।"

इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाए, वातावरण में संतुलन लाए, पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाएं, फिर जाकर विश्वबन्धु कहलाया जाए। The Home Minister and the Prime Minister should work overtime and step outside their comfort zone to address the needs of the people and restore normalcy at the earliest in Manipur.

(ends)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Opposition Parties have been raising requests to discuss Manipur so many times in this House. But today is the day they have chosen, after 2 o'clock in the middle of the night, to discuss Manipur. It just shows how much regard they have for the people suffering there and they do not care. Is this the time to give us an opportunity to be discussing Manipur? This shows this Government does not care and it shows disregard. They do not even want to give us time to discuss it properly tomorrow. It is really sad.

In Manipur, more than 260 lives have been lost and 67,000 people have been displaced. Around 5,000 homes have been destroyed, and churches and temples have been vandalised. We went to the camps and visited people there. I would like to mention about a mother who was waiting every day. When people were entering the gates, she ran out every day to see if it is her son who is coming back to the camp. Finally, she was giving up and she said, 'I hope they at least tell me whether he is alive or dead so that I can just give up because every day I am waiting desperately for the news whether he is alive or not'. (0220/AK/RV)

This is not just the case of one woman or one mother. There are thousands of mothers waiting with pain not knowing whether their children, who have been displaced or who they do not know where they are, are alive or not. This is happening to so many families, but nothing has been done to ensure that peace returns to Manipur.

It is so sad that an elected representative, the Chief Minister of that State, has been involved in creating more violence and encouraging violence. How did arms and guns go to the hands of terrorists and protesters there? Is this not a shame? Who is responsible for it? Who is going to answer for the lives lost there?

Two women were insulted and paraded stripped. It has put this nation to shame. Who is going to answer for it? We have no answers, and the Home Minister said 'free movement' after the President's Rule was imposed. Was there an opportunity for peace after that? No. Again, there was bloodshed after he promised free movement. Over 103 people have been injured, and 16 are

critically injured and in hospital. If this is the state, what is the point of the President's Rule?

What have you done about over 14,000 students who have not been able to go back to school? But you are reducing the Budget. Only 2.3 per cent has been increased in the education budget for Manipur when more than 14,000 children are not able to go back to schools. You have also cut the food budget by over 28 per cent. There is a reduction in it while in camps people do not have water and food to eat.

Our Chief Minister has clearly said that we want peace and normalcy to return, but we want an elected Government to return and an elected Government will ensure that there is peace and harmony, and a Government that will bring people together and not do divisive politics like this Government tries to do and divide people.

You talked so much about women in this Bill which we passed here. But do you care about women in Manipur? No. So, I think that this is a time for you to be honest with yourselves and answer to the people of this country.

Thank you.

(ends)

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, मैं जब इस संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हूं तो बहुत व्यथित हूं, बहुत व्यथित अंत:करण से बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप व्यथित क्यों हैं?

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, उस समय मेरे साथ गोगोई साहब थे, जब हम मणिपुर गए थे। उस वक्त हम वहां की महामिहम राज्यपाल से भी मिले थे। वे एक मिहला थीं। उन्होंने भी असमर्थता प्रकट की थी। कुकी और मैतेई का जो झगड़ा चल रहा था, उसी वक्त लग रहा था कि वह उस प्रांत को सीधा छेद गया था। वह अपना एक सीमावर्ती राज्य है। ऐसी स्थिति में जो सरकार यह कहती है कि हम तुरन्त एक्शन लेते हैं, तो वहां तो उनकी अपनी सरकार थी, अगर वहां कोई और सरकार होती तो यह सरकार उसी वक्त वहां राष्ट्रपित शासन लगाती। लेकिन, इन्होंने राष्ट्रपित शासन नहीं लगाया, ये खेलते रहे, आपस में लड़ते रहे। आज यह बड़ा कलंक लगता है कि हिन्दुस्तान में मिणपुर में जैसी घटना हुई, जैसा कि मेरी बहन जी ने भी अभी बताया, लोगों ने उसके वीडियोज़ भी देखे होंगे, वह बहुत व्यथित करने वाली है, लांछन लगाने वाली घटना है।

महोदय, मैं बस एक-दो मुद्दे और कहना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। एक तो प्रधान मंत्री आज तक वहां नहीं गए, अगर वे कभी वहां गए तो उन्हें हम बहुत-बहुत शुक्रिया कहेंगे, लेकिन अभी खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जब गया तो मैंने देखा कि कॉलेज के विद्यार्थी थे, खासकर मेडिकल के विद्यार्थी थे, जो पढ़ाई के तीसरे-चौथे साल में थे। वे लास्ट मोमेंट में कहां जाएं? उनकी 22 महीने की पढ़ाई में जो बाधा आई है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, यह पता नहीं है। अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो दरारें पैदा हुई हैं, उसको कम करना है। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, लेकिन वहां जिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देकर वहां के स्कूल्स, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों पर यदि आप कंसेन्ट्रेट करेंगे, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे।

आप राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में जो संकल्प लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। (इति)

(0225/UB/GG)

0225 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, on behalf of the NCP-SP, with a heavy heart, I support the Bill today. सर, मेरे कलीग्स सयानी घोष और किनमोझी जी ने जो कहा, मैं उसको फिर से नहीं दोहराऊंगी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा लगती है कि प्रेसिडेंट्स रूल एक सशक्त लोकतंत्र में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक तरफ जब हम वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा हमेशा चर्चा में आता है कि एक तरफ प्रेसिडेंट्स रूल एक कारण के लिए हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन लाना चाहती है।

It is a very complex democracy. What surprised me about Manipur is that when Manipur was burning, we did not have a single debate here. We expected a lot from the hon. Home Minister who is very assertive and who has delivered superior results in Kashmir, but we are not very satisfied with what happened in Manipur. I hope he brings a strong intervention in Manipur, brings in peace and conducts a fair election there. It is not that we do not like the President's Rule but, eventually, we all must work together, put our minds together and bring in peace and give fair livelihoods to people by restoring peace among all the communities.

(ends)

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, महीनों तक मणिपुर में हिंसा होती रही। घरों को जलाया गया। महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, घरों को जलाया गया, पूरे समुदाय को उजाड़ दिया गया। राज्य सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में थी, अपने ही लोगों की रक्षा करने में असमर्थ रही। मुख्य मंत्री खुद असहाय नज़र आए। उनके बयान ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे थे। डबल इंजन की सरकार कहती है। आज मणिपुर को छोड़ा है, कल बिहार, फिर महाराष्ट्र, ऐसे न जाने यह सरकार कैसे-कैसे काले दिन दिखाएगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रभावित समुदायों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास योजना लागू की जाए। हज़ारों लोग जो राहत शिविरों में पड़े हैं, उन्हें सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। उनके घर, व्यापार और आजीविका को फिर से खड़ा किया जाए। महोदय, मणिपुर में लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए। राष्ट्रपति शासन स्थायी निदान नहीं है। जैसे ही शांति बहाल हो, वहां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाएं। महोदय, मणिपुर सरकार की विफलताओं की न्यायिक जाँच हो। मुख्य मंत्री और उनकी सरकार को जवाबदेह उहराया जाए। पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक हस्तक्षेप की सच्चाई सामने आनी चाहिए। हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महोदय, मैं यह सदन के माध्यम से आपसे मांग करना चाहता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

श्री किशोरी लाल (अमेठी): स्पीकर सर, मैं सदन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह केवल एक संवैधानिक कदम नहीं, बल्कि सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। मणिपुर आज असुरक्षा, हिंसा और प्रशासनिक विफलता के कारण गंभीर दौर से गुज़र रहा है। मणिपुर की जो यह स्थिति हुई है, यह हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद, दूसरे समुदाय में इसका रिएक्शन हुआ। उसके बाद सरकार को चेत जाना चाहिए था। लेकिन सरकार चेती नहीं, बल्कि तीन मई से यह हिंसा स्टार्ट हुई और उसके बाद सरकार को जो एक्शन करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। उसके बाद इस हिंसा के अंदर आज तक तीन सौ, साढ़े तीन सौ के करीब लोग मारे गए। 70 हज़ार के करीब बेघर हो गए। और 19 जुलाई, 2023 को जब दो लेडीज़ को वहां पर नंगा कर के घुमाया गया, तो उसका रिएक्शन फिर उसके बाद हुआ। लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेती। उसके बाद, जब यह लगा कि इनके अपने सहयोगी दल इनका समर्थन नहीं करेंगे, तो कांग्रेस ने 10 फरवरी, 2025 को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की।

(0230/MY/GM)

लेकिन, उसके एक दिन पहले ही सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद 13 फरवरी को प्रेजिडेंट रूल लागू कर दिया गया। वहां पर आर्म्स लूटे गए, ऐम्युनिशंस लूटे गए और सभी नौजवान सड़कों पर आ गए। वहां कुछ लोग बेघर भी हो गए। उन्होंने आसपास के शरणार्थी कैंपों में शरण ली। इनके लिए मेरा सरकार से आग्रह है। हमारे पीएम साहब यहां पर मन की बात करते हैं, लेकिन वह मणिपुर की बात कभी नहीं करते हैं। मेरा यही आग्रह है कि नरेन्द्र मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वह मणिपुर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनको वहां पर जाना चाहिए। वहां के लोगों के जख्मों के ऊपर उनको मरहम लगानी चाहिए। मणिपुर एक संवेदनशील स्टेट है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है। उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। इस तरह के जितने भी संवेदनशील स्टेट्स हैं, उसमें पंजाब भी आता है, अन्य स्टेट्स भी आते हैं। उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। जब फूँसी होती है तो आप उसे फोड़ा बनने देते हैं। अब वह फोड़ा नासूर बनने जा रहा है। इसलिए, उचित समय पर इनका समाधान हो जाना चाहिए। वहां के लोगों का पुनर्वास किया जाए। वहां के नौजवानों के लिए कुछ काम की जाए। वहां शांति बहाल किया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

(इति)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदया द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने का मैं प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आया हूं।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर के दो समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ।

मान्यवर, यह न तो रायट्स है और न ही टेरिंग है। यह हाई कोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण दो समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वहां तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाए, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है, उनकी पीड़ा कम की जाए तथा उनका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए।

मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च इन चार महीने से वहां पर हिंसा नहीं हुई। जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से इसके अंदर खाने-पीने की व्यवस्था है। दवाइयाँ और अन्य मेडिकल सुविधाएं वहां पर हैं। इन सब चीजों को सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के अंदर ही पढ़ने की सुविधा देने का प्रयास किया गया है। मैं नहीं कहता कि बच्चा अपने घर में रह कर पढ़ता है, यह सुविधा इतनी अच्छी है।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि जब जातीय हिंसा होती है, तब ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि इसको पार्टी के साथ एकदम नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इस तरह का जवाब भी सदन में नहीं देना चाहता कि आपके समय में इतनी हिंसा हुई, हमारे समय में इतनी हिंसा हुई। आपके समय से हमारे समय में कम हिंसा हुई है। मैं कहता हूं कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। इसमें इन-प्रिंसिपल किसी की भी इस सदन में सहमति नहीं है। परंतु, पिक्चर इसी तरह से खड़ी करने का प्रयास किया गया कि भाजपा के शासन में ही जातीय हिंसा हुई है।

मान्यवर, मैं दो-तीन चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं सिर्फ मणिपुर की ही बात करूंगा। मणिपुर में वर्ष 1993 में जातीय हिंसा हुई। वहां नागा-कुकी संघर्ष हुआ। (0235/CP/RCP)

यह वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक, 5 साल तक चला। इसमें 750 मौतें हुई। इसके अंदर छुटपुट घटनाएँ एक दशक तक चली। मैं यह नहीं कहता कि ये एक दशक तक चली थीं, हमारे समय में कम हुई हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारे समय में जरा भी नहीं होनी चाहिए। मगर, एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी। इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई, इनमें से 80 प्रतिशत पहले एक महीने के अंदर ही हुई थीं। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई।

मान्यवर, वर्ष 1997-98 में कुकी-पाइते संघर्ष हुआ। इसमें 50 से ज्यादा गाँव नष्ट हो गए, 13 हजार लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैंकड़ों घायल हो गए, 5 हजार घर जलाये गए। वर्ष 1993 में मैतई-पंगल संघर्ष हुआ। उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थीं और 6 माह तक यह हिंसा चली थी। चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये तीनों हिंसा बड़ी-बड़ी हिंसा हैं, जो 10 साल, 2 साल और 6 माह चलीं और सैंकड़ों मृत्यु इससे भी ज्यादा इंडी एलायंस के शासन में हुई। तीनों वक्त आपके ही प्रधान मंत्री थे और उसके बाद भी वह नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं, उनको मैं सिर्फ छोटी सी वास्तविकता बताना चाहता हूँ।

मान्यवर, यह जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार वर्ष 2017 में आयी, उसके पहले 5 साल में एवरेज एक साल के अंदर 200 से अधिक दिन मणिपुर बंद रहा। कोई जातीय हिंसा नहीं थी। लगभग हजार से ज्यादा एनकाउंटर्स हो गए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थित हुई कि हाई कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने-अपने खिलाफ किया और दो ही दिन में हिंसा भड़क गई। यह भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया है। जिस दिन जजमेंट आया, यहाँ से कंपनियाँ वायु सेना के विमान में वहाँ रवाना कर दी गईं। कोई नजर अंदाज नहीं किया है। इस सबमें हम सबकी संवेदनाएं बराबर हैं, होनी ही चाहिए। मेरी आप सभी से विनती है कि सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी उच्चतम प्रयास कर रही है, कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करें। अगर पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा, मगर मैं यह नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिसकी भी मृत्यु हुई है, इस सदन को उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए और मन में दर्द भी रखना चाहिए।

राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। कई मीटिंग्स दोनों समुदायों की सारी संस्थाओं से अलग-अलग हुई और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूँढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, मगर पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा कि 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, दो इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाई एंड लॉर्ज कंट्रोल में है। मैं यह नहीं कहता कि यह संतोषजनक है। जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहेंगे, तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं है। पुनर्वासन पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है। आज मैं सदन के सामने यह राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूँ। यह कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं हैं कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाये। हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा की। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकारा।

(0240/NK/PS)

जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हैं, उसके हिसाब से दो माह के अंदर इसका अनुमोदन सदन से लेने के लिए आया हूं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है, सरकार चाहती है कि वहां जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वासन हो। जो जख्म लगे हैं, उस पर मरहम भी लगाया जाए। कृपया सभी दल एक मत होकर राष्ट्रपति शासन के निर्णय का अनुमोदन करें। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं।

(ends)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

0241 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 03 अप्रैल 2025 / 13 चैत्र 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।